रजिस्ट्रेशन संख्याः.......................................

शैक्षिक सत्र–2015–16 के लिए कक्षा–9, 10 तथा इण्टरमीडिएट की पाठ्य पुस्तकों के लेखन/मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु आवेदन पत्र।

1. संस्था का नाम	:..
2. पूरा पता (पिन कोड सहित)	:..
	....
	....
	....
	....
	फोन नं0..
	फैक्स नं0..
	मोबाइल नं0..
3. संस्था का स्थापना वर्ष	....
4. शाप/फैक्ट्री एक्ट रजि0नं0	....
5. ट्रैड टैक्स रजिस्ट्रेशन नं0	....
6. एस0एस आई0 रजिस्ट्रेशन नं0	....
7. आयकर का परमानेंट एकाउन्ट नं0	....
अथवा सी0आई0आर0 नं0	....
8. परिषद की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण	....
प्रकाशन अथवा राजकीय प्रकाशन कार्य	....
का पूर्व अनुभव यदि कोई हो।	....
9. पिछले तीन वर्षो के आयकर भुगतान	....
को स्थिति (प्रमाणपत्र सहित)	....
10. विगत वर्ष के टर्नओवर की स्थिति या	....

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र सहित...

11. लेखन व मुद्रण/प्रकाशन हेतु आवेदित ....
पाठ्य पुस्तक/पुस्तकों के नाम ....
(दो प्रतियों में) संलग्न करें ....

12. जमा जमानत धनराशि का विवरण–

....

क– धनराशि रु0 ....

जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता (पिनकोड सहित)...

....

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उक्त सूचनाएँ शुद्ध एवं सत्य है तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं शर्तो के अधीन आवश्यकता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन का कार्य निर्धारित समय से करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

हस्ताक्षर

प्रकाशक फर्म का नाम..

मुहर

शैक्षिक सत्र 2015–16 के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा–9, 10 तथा इण्टरमीडिएट की पाठ्य पुस्तकों के लेखन/मुद्रण/प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम एवं निर्देशः–

1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा–9, कक्षा–10 की 7–7 पाठ्य पुस्तकों तथा इण्टरमीडिएट की 13 पाठ्य पुस्तकों के सत्र 2015–16 के चयन हेतु वही प्रकाशक अर्ह होंगें जो निम्न अर्हतायें पूर्ण करते हों :–

(क) प्रकाशक द्वारा पिछले वर्षो के आयकर का भुगतान किया गया हो, ऐसे प्रकाशक जिन्हें 2014–2015 के आयकर भुगतान का क्लियरेंन्स न मिला हो वे 2014–2015 से पूर्व विगत 3 वर्षो अर्थात 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014 के आयकर भुगतान का क्लियरेंन्स संबंधी प्रमाणपत्र एवं पैन कार्ड का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ख) विगत वित्तीय वर्ष में उनका पुस्तकों के प्रकाशन व्यवसाय से टर्नओवर न्यूनतम एक करोड़ रूपये का रहा हो।(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

(ग) प्रकाशक का स्वयं का प्रेस हो अथवा अपने ग्रुप के साथ सम्बद्ध हो अथवा प्रेस जिससे आप कार्य कराते है, उनका पुष्टि पत्र प्रस्तुत करें।

(घ) किसी प्रकार का विधिक विवाद अथवा अन्य विवाद शिक्षा विभाग के साथ न रहा हो।

(ड•) शासन द्वारा उसे ब्लैक लिस्टिेड न किया गया हो।

(च) गाइड/गेस पेपर एवं क्वैश्चन बैंक का प्रकाशन नहीं करते हों अथवा संबंधित न हो।

कक्षा–9 एवं 10 की पाठ्य पुस्तकें एवं जमानत धनराशि

क्रम	पुस्तक का नाम	कक्षा	जमानत धनराशि
1–	सामाजिक विज्ञान	कक्षा–9	1,50,000 रू0
2–	सामाजिक विज्ञान	कक्षा–10	1,50,000 रू0
3–	हिन्दी	कक्षा–9	3,50,000 रू0
4–	हिन्दी	कक्षा–10	2,50,000 रू0
5–	अंग्रेजी	कक्षा–9	2,00,000 रू0
6–	अंग्रेजी	कक्षा–10	2,00,000 रू0
7–	विज्ञान	कक्षा–9	2,25,000 रू0
8–	विज्ञान	कक्षा–10	2,25,000 रू0
9–	गणित	कक्षा–9	1,00,000 रू0
10–	गणित	कक्षा–10	1,00,000 रू0

11–	प्रा0 गणित	कक्षा–9	1,50,000 रू0
12–	प्रा0 गणित	कक्षा–10	1,50,000 रू0
13–	संस्कृत	कक्षा–9	2,00,000 रू0
14–	संस्कृत	कक्षा–10	1,50,000 रू0

इण्टरमीडिएट की पाठ्य पुस्तकें एवं जमानत धनराशि

क्रम	पुस्तक का नाम	जमानत धनराशि
1–	गद्य गरिमा	1,00,000 रू0
2–	काव्यांजलि	1,00,000 रू0
3–	कथा भारती	75,000 रू0
4–	संस्कृत दिग्दर्शिका	50,000 रू0
5–	इंग्लिश पोइट्री	75,000 रू0
6–	मर्चेंट ऑफ वेनिस	50,000 रू0
7–	जनरल इंग्लिश	50,000 रू0
8–	इंग्लिश प्रोज	75,000 रू0
9–	शार्ट स्टोरी	50,000 रू0
10–	अर्थ शास्त्र– प्रथम	50,000 रू0
11–	अर्थ शास्त्र– द्वितीय	50,000 रू0
12–	गणित प्रथम प्रश्नपत्र	1,50,000 रू0
13–	गणित द्वितीय प्रश्नपत्र	1,50,000 रू0

2. जमानत धनराशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पक्ष में न्यूनतम एक वर्ष के लिए बंधक होगी जो निम्नलिखित में से किसी एक के रूप संलग्न करना होगा। गत वर्ष के आवंटी प्रकाशको द्वारा पुस्तको के प्रति जमा जमानत धनराशि का नवीनीकरण भी स्वीकार होगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जमा की गयी जमानत की धनराशि स्वीकार नहीं होगी।

(क) बैंकड्राफ्ट को सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पक्ष में बंधक हो।

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पक्ष में बंधक हो।

(ग) डाक खाने के सावधि बचत पत्र जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पक्ष में बंधक हो।

(घ.) बैंक के फिक्स डिपॉजिट को सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, के पक्ष में बंधक हो।

(ङ•) आवेदक के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी ।

3. निजी प्रकाशको को आवेदित पुस्तकों की तीन–तीन आदर्श प्रति निर्धारित तिथि तक परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित तिथि तक जो प्रकाशक पुस्तक की आदर्श प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके प्रकाशनाधिकार पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. किसी प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा अभिलेख संलग्न न करने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद को आवेदन पत्र निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

5. पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित/प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों को इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देनी होगी कि वे आवश्यकता गुणवत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करेंगे।

6. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में अन्तःपृष्ठ 60 जी0एस0एम0 वर्जिन पल्प नानरिसाइकिल्ड(100% बॉस/बुड वर्जिन शुद्ध लकड़ी एवं बॉस से तैयार) वाटरमार्क ''ए'' श्रेणी के मिलों, जिनका उत्पादन 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन अर्थात 100,000 मैट्रिक टन वार्षिक होगा तथा कवर पृष्ठ 175 जी0एस0एम0 का होगा।

7. पुस्तकों की साइज 18X24 से0मी0 हो तथा मुख्य शीर्षक 16 फाण्ट, उप शीर्षक 14 फाण्ट तथा पाठ्यवस्तु 12 फाण्ट (02 एम0एम0 जगह के साथ) का होगा।

8. कवर पृष्ठ की व्यवस्था निजी प्रकाशकों द्वारा स्वयं की जायेगी तथा कवर पृष्ठ 175 जी0एस0एम0 कागज पर चार रंगों में नम्बरिग सहित होगी।

9. पुस्तकों के अधिक्तम मूल्य का निर्धारण गत वर्ष भांति (शैक्षिक सत्र 2014–15 में निर्धारित) अंतः पृष्ठ का मूल्य 92 पैसा प्रति 8 पेजी फर्मा तथा कवर पृष्ठ का मूल्य 75 पैसा प्रति कवर पृष्ठ की दर से किया जायेगा।

10. पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम के अनुसार अभ्यास प्रश्न तथा लेखक/कवि का जीवन परिचय का लेखन प्रकाशकों को स्वयं कराना होगा। इसके साथ ही संबंधित भाषा विषय की पुस्तकों में भूमिका व प्राक्कथन का लेखन भी प्रकाशकों के द्वारा स्वयं कराना होगा तथा लेखक का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. पुस्तक के मुद्रणोपरान्त यदि मूल रचनाकार या उसके उत्तराधिकारी द्वारा रायल्टी की मांग की जाएगी तो वह संबंधित प्रकाशक को स्वयं भुगतान करना होगा।

12. जिन मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तक की आदर्श प्रति में शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में विसंगतियां तथा आपत्तियां पायी जायेंगी और यदि उनका संशोधन नहीं किया जाता तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रकाशक का होगा।

13. पाठ्य पुस्तकों को समयान्तर्गत बाजार में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित निजी प्रकाशकों की होगी तथा प्रकाशकों को बाजार में विक्रयार्थ पुस्तक उपलब्ध कराते समय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद को सूचना प्रेषित करनी होगी कि अमुक संख्या से अमुक संख्या तक की अमुक विषय की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध करायी गयी है और यह सूचना तब तक निरन्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को देनी होगी जब तक अन्तिम लाट बाजार के लिये जारी न हो जाय।

14. आवंटित पुस्तकों का मुद्रणोपरान्त विक्रयार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन तथा शिक्षा संस्थाओं को सम्बोधित परिपत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

15. मुद्रित/प्रकाशित पुस्तकों के नमूने की 25–25 प्रतियां प्रकाशित होने के बाद तत्काल परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. पुस्तक के लेखन/मुद्रण/प्रकाशन का कार्य निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ही यथासंभव निस्तारित किया जायेगा। तथा निर्धारित तिथि तक पाठ्य पुस्तकें बाजार में न उपलब्ध होने पर संबंधित प्रकाशक पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

<u>शपथ पत्र का प्रारूप (100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)</u>

मैं... ...साझीदार/निदेशक/मेसर्स/प्रकाशक संस्था का नाम एवं पता..

....

.माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्य क्रम के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015–16 में पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु निम्नलिखित अण्डरटेकिंग देता हूँ –

1. माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का अन्तःपृष्ठ 60 जी0एस0एम0 वर्जिन पल्प नानरिसाइकिल्ड(100% बॉस/बुड वर्जिन शुद्ध लकड़ी एवं बॉस से तैयार) वाटरमार्क ''ए'' श्रेणी के मिलों, जिनका उत्पादन 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन अर्थात 100,000 मैट्रिक टन वार्षिक होगा तथा कवर पृष्ठ 175 जी0एस0एम0 का होगा।
2. पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त होने वाला कागज अधिकृत प्रदेशीय वितरकों/स्टाकिस्टों से नियमानुसार वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान करने के अनुबन्ध के साथ क्रय किया जाएगा जिन्हे कम से कम दो बोर्ड/परिषद में सफलता पूर्वक उसी मिल के कागज की आपूर्ति करने का विगत दो वर्षो का निरन्तर अनुभव हो।
3. उक्त पाठ्य पुस्तक की अच्छी छपाई एवं कागज की निर्धारित गुणवत्ता प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। तथा कवर पृष्ठ माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
4. पाठ्य पुस्तकों का लेखन/मुद्रण/प्रकाशन इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित तिथि से पूर्व पाठ्य पुस्तकें बाजार में विक्रयार्थ उपलब्ध रहेंगी। यदि निर्धारित तिथि तक पाठ्य पुस्तकें बाजार में नहीं उपलब्ध होती है तो मेरे द्वारा जमा जमानत धनराशि के सापेक्ष प्रति सप्ताह प्रति पुस्तक 25% अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा परिषद का होगा।
5. निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य न तो पुस्तक में मुद्रित किया जायेगा और न ही किसी फुटकर विक्रेता को निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की अनुमति दी जायेगी।

6. मैं शपथपूर्वक कहता हूॅ कि हमारा प्रकाशन संस्थान/गेस पेपर/क्वैश्चनबैंक/गाइड, कुंजी प्रकाशित नहीं करता है। साथ ही हमारे संस्थान से संबंधित अथवा हमारे कोई भी साझीदार/निदेशक से संबंधित प्रकाशन संस्था इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित नहीं करेगा।
7. हम यह शपथपूर्वक कहते हैं कि हमारे प्रकाशन संस्थान का किसी प्रकार का विधिक अथवा अन्य विवाद शिक्षा विभाग के साथ नहीं है और न ही शासन द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया गया हूॅ।
8. हम यह शपथपूर्वक कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का लेखन मौलिाक, मर्यादित तात्तसामयिक व विवाद रहित होगा। यदि हमारी पाठ्य पुस्तक में कोई ऐसा अंश पाया जाता है जो आपत्तिजनक अश्लील अथवा माननीय मूल्यों एवं नैतिकता के विरूद्ध हो तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे प्रकाशन संस्थान का होगा तथा माध्यमिक शिक्षा परिष्द को एक पक्षीय कार्यवाही का अधिकार होगा।
9. हमारे शपथपत्र में वर्णित कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने पर या अन्य स्पेसीफिकेशन के कागजों के प्रयोग करने पर हमारी सिक्योरिटी मनी जब्त की जा सकती हैं। हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है तथा हमें ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
10. आवंटित पुस्तकों के विक्रयार्थ किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति तथा शिक्षण संस्थाओं को सम्बोधित परिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित पुस्तकों के विक्रयार्थ शिक्षक/शिक्षण संस्थाओं को देय परिपत्र/प्रलोभन कमीशन आदि की सूचना कार्यालय में प्राप्त होने की स्थिति में फर्म द्वारा पुस्तक प्रकाशन के प्रति जमा जमानत की धनराशि जब्त कर विधिक कार्यवाही करने हेतु परिषद कार्यालय अधिकृत होगा।
12. आवंटित पुस्तकों के प्रकाशनोपरान्त नमूने की 25–25 प्रतियॉ परिषद कार्यालय में समय सीमा के अंदर अवश्य प्रस्तुत कर दूँगा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा।

साझीदार/निदेशक/पार्टनर

संस्था का नाम..

पद नाम एवं हस्ताक्षर–